



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/540/2019/.....538.....

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
दरभंगा, गोपालगंज, नालंदा, नवादा एवं रोहतास

पटना, दिनांक.....04/5/2022

विषय: Ultrasound Machine with Colour Doppler की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के संबंध में।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 2045, दिनांक 15.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तारीकरण के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के सभी सदर अस्पताल में Ultrasound Machine with Colour Doppler का अधिष्ठापन कराया गया है और सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को Ultrasound की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करायी जा रही है। इसी प्रकार सदर अस्पताल से इतर First Referral Unit (FRU)/ अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल में भी Ultrasound Machine का अधिष्ठापन कालक्रमबद्ध तरीके से कराया जा रहा है।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के 14 स्वास्थ्य संस्थानों में Ultrasound Machine अधिष्ठापित करने हेतु BMSICL को आदेश पत्र निर्गत करने के साथ ही सभी संबंधित सिविल सर्जन से अनुरोध किया गया था कि अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में PC & PNDDT Act के तहत अल्ट्रासाउण्ड की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु निबंधन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration, Form-B) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त के क्रम में 07 स्वास्थ्य संस्थानों के लिए PC & PNDDT Act के तहत Form- B में निबंधन प्रमाण-पत्र संबंधित सिविल सर्जन द्वारा निर्गत कर उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 07 स्वास्थ्य संस्थान यथा:- अनुमंडलीय अस्पताल बिरौल (दरभंगा), अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ (गोपालगंज), अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा (नालंदा), अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर (नालंदा), अनुमंडलीय अस्पताल बिक्रमगंज (रोहतास), अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) तथा रेफरल अस्पताल गोगरी (खगड़िया) द्वारा PC & PNDDT Act के तहत निबंधन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration, Form-B) अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाउण्ड अधिष्ठापित कर इसकी सुविधा मरीजों को नहीं दी जा पा रही है।

4. सिविल सर्जन सहरसा एवं खगड़िया द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर एवं रेफरल अस्पताल गोगरी में पदस्थापित विशेषज्ञ चिकित्सक का स्थानांतरण अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थान में हो गया है और इन स्वास्थ्य संस्थानों में अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित/कार्यरत नहीं होने के कारण निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है।

5. अतः अनुरोध है कि शेष 05 स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाउण्ड की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मशीन की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन के निमित्त विहित प्रपत्र Form- B में निबंधन प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2022 तक अचुक रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

